BuyBack - Board Resolution

गेल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम – महारत्न कंपनी)
GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

गेल भवन,
16 भीकाएजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110066, भारत
GAIL BHAWAN,
16 BHIKAIJI CAMA PLACE
NEW DELHI-110066, INDIA
फोन/PHONE: +91 11 26182955
फैक्स/FAX: +91 11 26185941
ई–मेल/E-mail: info@gail.co.in

एनडी/गेल/सेक्ट./2021

जनवरी 18, 2021

लिस्टिंग विभाग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-1, ब्लॉक-जी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051 **स्क्रिप कोड - गेल**	प्रबंधक निगमित संपर्क विभाग बीएसई लिमिटेड, रोटंडा भवन, पी जे टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400001 **स्क्रिप कोड: 532155**

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: गेल (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा ईक्विटी शेयरों का प्रतिक्रय - बोर्ड संकल्प

दिनांक 15 जनवरी, 2021 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल **("बोर्ड")** की बैठक में, बोर्ड ने सर्वसम्मति से 6,97,56,641 (रुपए छह करोड़ सतानवे लाख छः हजार छः सौ इकतालीस मात्र) तक के पूर्ण प्रदत्त रु.10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के शेयरों के प्रतिक्रय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है जो कि कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में पूर्ण प्रदत्त ईक्विटी शेयरों के कुल 1.5% है, कंपनी के शेयरधारकों से प्रति ईक्विटी शेयर रु.150/- **("प्रतिक्रय प्रस्ताव मूल्य")** की दर से नगद में देय, जो कि कुल मिलाकर **रु.1,046.35 करोड़ (रुपए एक हज़ार छियालीस करोड़ पैंतिस लाख मात्र) ("प्रतिक्रय प्रस्ताव आकार")** से अधिक नहीं है, जो कि क्रमश: दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष (अंतिम लेखापरीक्षित एकल व समेकित वित्तीय विवरण प्रतिक्रय के प्रस्ताव की संस्तुति की बोर्ड की बैठक की तिथि के अनुसार उपलब्ध है) हेतु पूर्ण प्रदत इक्विटी शेयर पूंजी का कुल 2.50% और 2.26% तथा कंपनी के लेखापरीक्षित एकल व समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार मुक्त रिज़र्व दर्शाते हैं, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम की धारा 68, 69, 70 एवं अन्य लागू प्रावधानों के संदर्भ में, यदि कोई है, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का प्रतिक्रय) विनियमन, 2018 यथा संशोधित **("प्रतिक्रय विनियम") ("प्रतिक्रय")** के अनुसार है।

प्रतिक्रय विनियमन के विनियम 5(vii) के अनुपालन में हम दिनांक 15 जनवरी, 2021 को बोर्ड की बैठक में पारित बोर्ड संकल्प की एक प्रति संलग्न कर रहे हैं।
कंपनी प्रतिक्रय के संबंध में लागू कानून के अनुसार नियत समय में प्रासंगिक अपडेट प्रदान करेगी।

धन्यवाद,
कृते गेल (इंडिया) लिमिटेड

ए.के. झा
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
अनुलग्नक : उपरोक्तानुसार

सीआईएन/CIN
L40200DL1984GOI018976
www.gailonline.com

<u>गेल (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक मंडल की शुक्रवार, 15 जनवरी, 2021 को प्रात: 11:00 बजे गेल भवन, 16 भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली 110066 में आयोजित 421वीं बैठक में पारित संकल्प की प्रमाणित प्रति</u>

<u>मद सं. 421.10</u>

विषय: <u>शेयरों का प्रतिक्रय - वित्त वर्ष 2020-21</u>

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68, 69, 70 और अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसरण में, कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014, और इसके तहत बनाए गए अन्य संबंधित नियमों के प्रावधानों, प्रत्येक में समय-समय पर किए गए संशोधन (**कंपनी अधिनियम**") के अनुसरण में, तथा यथा-संशोधित ("**सूचीबद्धता विनियम**") <u>भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015</u> के अंतर्नियम के अनुच्छेद 58 के अनुसार, तथा यथा संशोधित **("प्रतिक्रय विनियम**") भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (प्रतिक्रय) विनियम, 2018, और किसी भी वैधानिक आशोधन(नों) या उन्हें वर्तमान में पुन: लागू करना और, ऐसे अन्य अनुमोदन, अनुमतियाँ, प्रतिबंध और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की छूट ("सेबी), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय/ कंपनियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा ("**आरओसी**") और/ या अन्य प्राधिकारियों, संस्थानों या निकायों ("**उपयुक्त प्राधिकारी**") के अध्यधीन, जैसा कि आवश्यक हो तथा ऐसी शर्तों और संशोधनों के अधीन जैसा कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले ऐसे अनुमोदन, अनुमति और प्रतिबंध प्रदान करते समय निर्धारित या लागू किया जाए ("**निदेशक मंडल**"/ "**बोर्ड**" जिसकी अभिव्यक्ति में बोर्ड द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित कोई समिति शामिल होगी, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियां भी सम्मिलित होंगी), बोर्ड एतद्द्वारा प्रत्येक 10/- रुपए ("**इक्विटी शेयर**") (जो कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की कुल संख्या का 1.55% का प्रतिनिधित्व करता है) के अंकित मूल्य पर पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों, जो **6,97,56,641 (छह करोड़ सत्तानवे लाख छप्पन हजार छः सौ इकतालिस रुपए)** रुपए से अधिक न हो, के प्रतिक्रय की **150 रुपए (एक सौ पचास रुपए मात्र)** प्रति शेयर इक्विटी ("**प्रतिक्रय प्रस्ताव मूल्य**") के मूल्य पर मंजूरी देता है जो नकद में देय **1,046.35 करोड़ रुपए (एक हजार छियालीस करोड़ पैंतीस लाख रुपए मात्र)** ("**प्रतिक्रय प्रस्ताव आकार**") से अधिक न हो (लेन-देन लागत अर्थात् ब्रोकरेज, सलाहकार का शुल्क, मध्यवर्ती फीस, सार्वजनिक घोषणा प्रकाशन शुल्क, फाइलिंग शुल्क, कारोबार शुल्क को छोड़कर, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इसमें प्रतिक्रय कर, प्रतिभूति लेनदेन कर, माल और सेवा कर, स्टांप शुल्क और अन्य प्रासंगिक और संबंधित खर्च शामिल हैं) और जिसकी कुल पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी तथा मुक्त रिजर्व लेखा परीक्षित पृथक और समेकित वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए क्रमशः 2.50% और 2.26% हो (पिछली लेखा-परीक्षित पृथक और समेकित वित्तीय विवरण बोर्ड की बैठक की तारीख को उपलब्ध जिसमें प्रतिक्रय के प्रस्ताव की सिफारिश की गई हो) और यह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों तथा कंपनी (उन व्यक्तियों सहित जो उनके द्वारा धारित ग्लोबल डिपॉजिटरी प्राप्तियों ("**जीडीआर**") को रद्द करके शेयरधारक बन जाते हैं, और अंतर्निहित इक्विटी शेयर प्राप्त करते हैं), के इक्विटी शेयरधारकों से प्रतिक्रय

या किसी सावधि ऋण के पुनर्भुगतान या किसी वित्तीय संस्थान या बैंकिंग कंपनी को उस पर देय ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।;

ङ.) कंपनी उन इक्विटी शेयरधारकों को लेनदेन के भुगतान के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार ली गई निधियों का उपयोग नहीं करेगी, जिन्होंने प्रतिक्रय में अपने इक्विटी शेयरों के लिए निविदा दी है;

च) कंपनी अपने इक्विटी शेयरों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं खरीदेगी:

- अपनी सहायक कंपनियों सहित किसी भी सहायक कंपनी, यदि कोई हो, के माध्यम से या
- किसी भी निवेश कंपनी या निवेश कंपनियों के समूह के माध्यम से;

छ) कंपनी लॉक-इन इक्विटी शेयरों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों, यदि कोई हों, और गैर-हस्तांतरणीय इक्विटी शेयरों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, को तब तक प्रतिक्रय नहीं करेगी जब तक लॉक-इन के लंबित रहती हैं या इक्विटी शेयरों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियां हस्तांतरणीय नहीं हो जाती हैं;

ज) अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और प्रतिक्रय विनियमों के तहत निर्धारितअनुसार, कंपनी के पृथक और समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर, कंपनी द्वारा धारित सुरक्षित और असुरक्षित ऋणों के योग का अनुपात, प्रतिक्रय के बाद प्रदत्त पूंजी और मुक्त भंडार के दोगुना से अधिक नहीं होगा।;

झ) प्रतिक्रय के लेनदेन का भुगतान केवल नकद के माध्यम से किया जाएगा;

ञ) प्रतिक्रय की कुल राशि अर्थात् **1,046.35 करोड़ रुपए (एक हजार छयालीस करोड़ और पैंतीस लाख मात्र)** अर्थात् कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी और कंपनी के मुक्त भंडार का **2.50% और 2.26%** 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए क्रमशः कंपनी के नवीनतम लेखा-परीक्षित पृथक और समेकित वित्तीय विवरणों, (बोर्ड की बैठक, जिसमें प्रतिक्रय के प्रस्ताव की सिफारिश की गई थी, की तारीख को उपलब्ध अंतिम लेखा-परीक्षित पृथक और समेकित वित्तीय विवरण) और प्रतिक्रय किए जाने वाले प्रस्तावित इक्विटी शेयरों की अधिकतम संख्या अर्थात् **6,97,56,641 (छह करोड़ सत्तानवे लाख छप्पन हजार छह सौ इकतालीस रुपए मात्र)** इक्विटी शेयर कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के इक्विटी शेयरों की कुल संख्या के 25% से अधिक नहीं है;

ट) प्रतिक्रय के परिणामस्वरूप स्टॉक एक्सचेंजों से इक्विटी शेयरों की सूचिबद्धता नहीं हटेगी;

ठ) कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 92, 123, 127 और 129 का अनुपालन कर रही है; तथा

ड) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आज की तारीख में समामेलन या समझौता या व्यवस्था की कोई भी योजना लंबित नहीं है।"

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** समिति, जिसमें **निदेशक (वित्त)** *अध्यक्ष के रूप में* और **निदेशक (विपणन)** *सदस्य* ("**प्रतिक्रय समिति**") **के** *रूप में शामिल हैं,* का गठन करने के लिए एतद्द्वारा बोर्ड का अनुमोदन दिया जाता है ताकि वह ऐसे सभी कार्य (उन मध्यवर्तियों को छोड़कर जो मर्चेंट बैंकर में संलग्न हैं), मामलों और चीजों का निपटान कर सकें, जैसा वे प्रतिक्रय समिति शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में अपने पूर्ण विवेक पर आवश्यक, समीचीन, सामान्य या उचित समझें, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन जो इन तक ही सीमित नहीं होंगे:

क) किन्हीं बिचौलियों/ एजेंसियों/ व्यक्तियों को नियुक्त करें, जो प्रतिक्रय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हों, और ऐसे सभी बिचौलियों/ एजेंसियों/ व्यक्तियों के अलग-अलग पारिश्रमिक पर निर्णय ले और उसका निर्धारण करे, जिसमें कमीशन, दलाली, शुल्क, शुल्क आदि का भुगतान शामिल है;

ख) प्रतिक्रय विनियमों के संदर्भ में आवश्यकता के अनुसार एस्क्रो व्यवस्था करे;

ग) पात्रता अनुपात की तरह प्रतिक्रय की शर्तों को मंजूरी देना, प्रतिक्रय के लिए गतिविधियों की अनुसूची जिसमें प्रतिक्रय के खुलने और समापन की तारीख को अंतिम रूप देना, प्रतिक्रय के पूरा होने की समय-सीमा, प्रतिक्रय में शेयरधारकों द्वारा प्रदान किए गए शेयरों की स्वीकृति शामिल है;

घ) आवश्यक खातों को खोलना, संचालन और बंद करना, जिसमें भुगतान करने और उक्त खातों को संचालित करने के लिए व्यक्तियों को अधिकृत करने के उद्देश्य से बैंक खातों, एस्क्रो बैंक खाते, विशेष एस्क्रो बैंक खाते, डिपॉजिटरी खाते (एस्क्रो खाते सहित) सहित सभी, मर्चेंट बैंकर/ ब्रोकर/ प्रबंधक से प्रतिक्रय तक ट्रेडिंग खाते शामिल हैं;

ड.) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, यदि कोई हों, के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यकता के अनुसार अनुमोदन सहित उनके अपेक्षित अनुमोदन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को सभी आवेदन करना;

च) प्रतिक्रय सार्वजनिक घोषणा, प्रस्ताव पत्र के मसौदे की स्वीकृति और उस पर हस्ताक्षर;

छ) निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज पर निर्णय लेना;

ज) लागू कानून के तहत आवश्यकता अनुसार विमुद्रीकृत शेयरों को समाप्त करने और शेयर प्रमाणपत्रों को भौतिक रूप से नष्ट करने का अनुमोदन देना;

झ) ऐसे अन्य दस्तावेजों, विलेखों और लेखों पर हस्ताक्षर करना, उन्हें लागू करना और वितरित करना तथा ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करना, जैसा वे अपने पूरे विवेक पर आवश्यक, समीचीन या उचित समझें, जो प्रतिक्रय के कार्यान्वयन के लिए शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में हों, और सेबी, आरबीआई, आरओसी, स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी और/ या अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों को प्रतिक्रय के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न दस्तावेजों और ऐसे अन्य वचनपत्रों, समझौतों, कागजात, दस्तावेजों और पत्राचार को तैयार और जारी करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करना;

ञ) लागू कानून के तहत आवश्यक रूप से सांविधिक लेखा-परीक्षकों और अन्य तृतीय पक्षों से सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट प्राप्त करना।

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** कंपनी प्रतिक्रय शेयरों का एक रजिस्टर बनाएगी जिसमें इक्विटी शेयरों के विवरण, वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों के लेनदेन का भुगतान किया गया हो, इक्विटी शेयरों को रद्द करने की तारीख और इक्विटी शेयरों को भौतिक रूप से नष्ट करने की तारीख और ऐसे अन्य विवरण, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, दर्ज किए जाएंगे और कंपनी के कंपनी सचिव को एतद्द्वारा उक्त रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को एतद्द्वारा कंपनी की ओर से आवश्यक दस्तावेजों, वचनपत्रों, दस्तावेजों, पत्रों, प्रस्तावों, समझौतों आदि पर बातचीत करने, हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए कंपनी के किसी भी अधिकारी को नामित करने के लिए अधिकृत किया गया है।"

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** निदेशक (वित्त) और कंपनी सचिव को एतद्द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय/ कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा और किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकारी के साथ पृथक रूप से आवश्यक ई-प्रपत्र दायर करने और ऐसे सभी कार्यों, कर्तव्यों और चीजें करने, जो उपर्युक्त संकल्पों को लागू करने के लिए आवश्यक हों, के लिए अधिकृत किया जाता है।"